248 14 01.01.1989 को या उसके बाद सीडीए वेतनमानों के कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति।

अधोहस्ताक्षरी को निदेश दिया जाता है कि वह इस विभाग के दिनांक 12.6.1990 के का.ज्ञा. सं. 2(43)/90–डीपीई (डब्ल्यूसी) के पैरा 3(iii) की ओर ध्यान दे जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ यह प्रावधान है कि सीपीएसई द्वारा सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में 01.01.1989 को अथवा उसके बाद की गई नियुक्तियों को आईडीए वेतनमानों और आईडीए द्वारा शासित समझा जाए। उपर्युक्त दिनांक 12.6.1990 का का.ज्ञा. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के अनुसरण में है जिसमें उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए दिशा–निर्देश दिए गए हैं।

2. उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्णय के पैरा 3(ii) में प्रावधान है कि 01.01. 1989 को अथवा उसके बाद नियुक्त कर्मचारी सरकार द्वारा अपने विवेक पर यथा निर्णित वेतनमानों और भत्तों द्वारा शासित होगे। वे कर्मचारी, जिनकी नियुक्ति आईडीए पैटर्न से पहले की गई है, उनकी नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों के अनुसार ही शासित होते रहेंगे।

3. कतिपय मंत्रालयों/सीपीएसई से पूर्व संदर्भ प्राप्त हुए थे जिनमें यह प्रश्न उठाया गया था कि क्या उच्चतम न्यायालय के दिनांक 03.05.1990 के निर्णय के पैरा 3(ii) में यथाउल्लेखित शब्द 'नियुक्ति' में उच्चाधिकार प्राप्त वेतन समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के अध्यधीन उच्चतम न्यायालय के विषय पर लोक उद्यम विभाग के दिनांक 12.06.1990 के का.ज्ञा. के अनुबंध–I में पदोन्नति भी शामिल है। इस मामले में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के साथ परामर्श में विचार किया गया। यह कहा गया था कि भर्ती में किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में भर्ती करने के लिए दी गई कोई भी विधि शामिल है। भर्ती की सभी को ज्ञात विधियां नियुक्ति, चयन, पदोन्नति और प्रतिनियुक्ति हैं। शब्द 'नियोजन' अथवा 'नियुक्ति' को इतना व्यापक बनाया गया है कि चयन पदों में पदोन्नति सहित पदोन्नति के मामले शामिल हों।

4. इस मुद्दे पर कि क्या 'नियुक्ति' में 'पदोन्नति' शामिल है, उपरोक्त पैरा 3 के अनुसार स्पष्टीकरण मामला दर मामला आधार पर दिया गया था। कुछ मंत्रालयों/सीपीएसई द्वारा यह मुद्दा सीपीएसई में सीडीए और आईडीए वेतनमानों, दोनों के कर्मचारियों के मामले में हाल ही में वेतन संशोधन के संदर्भ में पुनः उठाया गया है। इस बात पर पुनः जोर दिया जाता है कि उपयुक्त पैरा 3 में दी गई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है।

5. यदि किसी विशेष सीपीएसई में कर्मचारियों के सीडीए/आईडीए पैटर्न के संबंध में कोई न्यायालयी मामला/न्यायालयी निर्णय है, प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई के कर्मचारियों को सीडीए पैटर्न के वेतनमान से आईडीए पैटर्न के वेतनमान में अंतरण में परिवर्तन करते समय ऐसे न्यायालयी मामला/न्यायालयी निर्णय के निहितार्थ को ध्यान में रखना चाहिए।

(डीपीई का. ज्ञा. **सं. 2(41)/09–डीपीई (डब्ल्यूसी)–जीएल–XX/2009, दिनांक 10 अगस्त, 2009)**

*****